



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री मिहिलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-20825/प्र0अनु0(7)/-फार्म-ए-सीमित कारावास/15/2026 (बै0 दि0 20.04.2026), दिनांक 26 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री मिहिलाल (दिनांक 28.09.2025 तक बन्दी की आयु 36 वर्ष 06 माह 15 दिन) जो राजेपुर, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 21.01.2019 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-135/2019 में भा0द0वि0 की धारा-376, 366 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट महोबा के आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 18 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, पश्चिम एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक-21.01.2019 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त-पश्चिम व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त-पश्चिम तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष राजेन्द्र पुत्र मिहिलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-174/2024) पुत्र श्री मिहिलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1266/2026/1027(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक 28 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री मिहिलाल (दिनांक 28.09.2025 तक बन्दी की आयु 36 वर्ष 06 माह 15 दिन) जो राजेपुर, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 21.01.2019 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-135/2019 में भा०द०वि० की धारा-376, 366 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट महोबा के आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 18 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, पश्चिम एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक-21.01.2019 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त-पश्चिम व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त-पश्चिम तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष राजेन्द्र पुत्र मिहिलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।